



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2013/भाद्र 19, 1935

No. 2116]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2013/BHADRA 19, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2013

का.आ. 2731(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (5) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन, लोक हित में सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात, भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) खनिजों का खनन	गैर कोयला खनन पट्टा की बाबत ≥ 50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र। कोयला खान पट्टा के संबंध में >150 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	गौण खनिज खनन पट्टा के संबंध में <50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र; और अन्य गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में <50 हेक्टेयर ≥ 5 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र। कोयला खनन पट्टा के संबंध में ≤ 150 हेक्टेयर ≥ 5 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	खनिजों के खनन के लिए पांच हेक्टेयर से कम खनन पट्टा क्षेत्र के लिए परियोजना या कार्यकलापों के सिवाय साधारण शर्तें लागू होंगी: परंतु यह कि पूर्वोक्त अपवाद उस परियोजना या कार्यकलाप के लिए लागू नहीं होगा यदि उक्त परियोजना या कार्यकलाप के खनन पट्टा क्षेत्र और विद्यमान प्रचालन कर रही खानों और खनन परियोजनाओं जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई थी और जो ऐसी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>(ii) राष्ट्रीय पार्कों या अभ्यारण्यों या मूंगा चट्टानों, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली द्रव (कोयला, लिग्नाइट और अन्य अयस्क) पाइप लाइनें</p>	<p>खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना एस्वेसटस खनन।</p> <p>सभी परियोजनाएं</p>		<p>परियोजना या कार्यकलाप की परिधि से पांच सौ मीटर के भीतर अवस्थित हैं, के क्षेत्र का कुल योग, पांच हेक्टेयर के बराबर या उससे अधिक हैं।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>(i) खनन पट्टा के नवीकरण के स्तर पर पूर्व पर्यावरण निकासी अपेक्षित है जिसके नवीकरण के लिए नियत तारीख से दो वर्ष पूर्व आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 अप्रैल, 2011 के प्रभाव से उन सभी खनन पट्टों के लिए पर्यावरण निकासी अभिप्राप्त करने के लिए जो 4 अप्रैल, 2011 को अपेक्षित वैध पर्यावरणीय निकासी के साथ प्रचालन कर रहे थे और जो 4 नवंबर, 2011 के पश्चात् नवीकरण के लिए शोध्य हो गए हैं, के लिए दो वर्ष की अवधि का उपबंध किया गया है :</p> <p>परंतु यह कि किसी खनन परियोजना या कार्यकलाप के लिए, जिसने इस अधिसूचना के अधीन पहले ही पर्यावरणीय निकासी अभिप्राप्त कर ली है खनन पट्टे के नवीकरण के समय कोई नवीन पर्यावरण निकासी की अपेक्षा नहीं होगी।</p> <p>(ii) खनन पूर्वोक्षण को छूट प्रदान की गई है।”।</p>

[फा. सं. जैड-11013/271/2012-आईए-II(एम)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए : —

1. का.आ. 1733(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;

3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2013

S.O. 2731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for item 1(a) and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1(a)	(i) Mining of minerals.	<p>≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease.</p> <p>>150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.</p> <p>Asbestos mining irrespective of mining area.</p>	<p><50 ha of mining lease area in respect of minor minerals mine lease; and</p> <p>≤ 50 ha ≥5 ha of mining lease area in respect of other non-coal mine lease.</p> <p>≤ 150 ha >5 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.</p>	<p>General Conditions shall apply except for project or activity of less than 5 ha of mining lease area for minor minerals:</p> <p>Provided that the above exception shall not apply for project or activity if the sum total of the mining lease area of the said project or activity and that of existing operating mines and mining projects which were accorded environment clearance and are located within 500 metres from the periphery of such project or activity equals or exceeds 5 ha.</p> <p>Note:</p> <p>(i) Prior environmental clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal. Further, a period of two years with effect from the 4th April, 2011 is provided for obtaining environmental clearance for all those mine leases, which were operating as on the 4th April, 2011 with requisite valid environmental clearance and which have fallen due for renewal on or after 4th November, 2011:</p>
				<p>Provided that no fresh environmental clearance shall be required for a mining project or activity at the time of renewal of mining lease, which has already obtained</p>

	(ii) Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		environmental clearance under this notification. (ii) Mineral prospecting is exempted.”.
--	---	---------------	--	---

[No. Z-11013/271/2012-IA-II (M)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
3. S. O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012; and
5. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013.